



कार्यालय महाप्रबंधक, म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर,

चेतना नगर पुरानी बस्ती रोड अनूपपुर (म०प्र०)

Ph.: 07659-222930 Fax: 07659-222880 Email ID: gmanuppur@rediffmail.com

क्रमांक / 57 / तक. / मप्रग्रासविप्रा / 2018

अनूपपुर, दिनांक: 08/01/2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषय:— अनुपपुर जिले के कोतमा विकास खण्ड के अंतर्गत पिपरिया से सरिसताल मार्ग लंबाई 4.500 कि.मी. के वनक्षेत्र स्थित भाग उन्नयन एवं पुल/पुलियों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक/मा०चि०/2017/2862 अनूपपुर दिनांक 19.07.2017।

—: प्रतिवेदन —:

अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र बिजुरी के अंतर्गत ग्राम पिपरिया से सरिसताल मार्ग लंबाई 4.500 कि.मी. में 2.100 हेक्टे० प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निम्न प्रतिरूपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित है:

स. क्र.	प्रतिरूपित शर्तें	पालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	सरल क्र. 1 की शर्त मान्य है।
2	वन भूमि पर मार्ग निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपयोग में नहीं ली जायेगी।	सरल क्र. 2 की शर्त मान्य है।
3	वनों के संरक्षण अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित में राज्य शासन/वन विभाग द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन आवेदक/संस्थान द्वारा किया जावेगा।	सरल क्र 03 की शर्त मान्य है।
4	मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाले वन भूमि में प्रस्ताव अनुसार वनस्पति और प्राणी जाति के दुर्लभ/विशिष्ट/संकटापन प्रजातियां नहीं पाई जाती है।	सरल क्र 04 में दर्शाये अनुसार वनस्पति और प्राणी नहीं पाये जाते हैं।
5	आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य का भाग नहीं है।	सरल क्र 05 राष्ट्रीय अभ्यारण्य का भाग नहीं है।
6	वन क्षेत्र के अंदर के गिट्टी, मिट्टी, मुरुम, रेता आदि का संग्रहण एवं उत्खनन नहीं किया जायेगा।	सरल क्र 06 की शर्त मान्य है।
7	मार्ग के निर्माण में किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जायेगा।	सरल क्र 07 में स्वीकृति अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
8	सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वन भूमि पर कार्य किया जायेगा। सूर्य अस्त के बाद वन भूमि में कोई कार्य नहीं किया जायेगा।	सरल क्र 08 की शर्त मान्य है।

कार्यालय महाप्रबंधक, म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर,

चेतना नगर पुरानी बस्ती रोड अनूपपुर (म०प्र०)

Ph.: 07659-222930 Fax: 07659-222880 Email ID: gmanuppur@rediffmail.com

9	भारत सरकार, राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वनमण्डलाधिकारी द्वारा भविष्य में कोई नई शर्त लागू की जावेगी उसे आवेदक/संस्था को मानना होगा।	सरल क्र 09 की शर्त मान्य है।
10	वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	सरल क्र 10 की शर्त मान्य है।
11	वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर द्वारा यदि आवश्यक समझा जावेगा तो सड़क के दोनों ओर परियोजना लागत पर वृक्षारोपन करवाया जावेगा जिसका रख-रखाव परियोजना लागत पर किया जावेगा।	सरल क्र 11 की शर्त मान्य है।
12	सड़क उन्नयन कार्य के कारण यदि वनक्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो आवेदक संस्थान द्वारा ऐसे क्षति की भरपाई की जावेगी।	सरल क्र 12 की शर्त मान्य है।
13	सड़क चौड़ीकरण 7.50 मीटर से अधिक नहीं किया जावेगा।	सरल क्र 13 की शर्त मान्य है।
14	नेट प्रजेण्ट वैल्यू के भुगतान हेतु राशि 11,82,300/- (ग्यारह लाख बयासी हजार तीन सौ रु.) एडहॉक कैम्पा में ई-पेमेंट के माध्यम से जमा करें तथा जमा की गई राशि की प्राप्ति इस कार्यालय में जमा करें।	नेट प्रजेण्ट वैल्यू का भुगतान दिनांक 21/09/17 रु. 1000000, 18/10/17 रु. 118000 एवं 28/12/17 रु. 64300 कुल राशि रु. 11,82,300 को ई-पेमेंट के माध्यम से किया गया है, चालान की छायाप्रति संलग्न है।
15	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 2.100 हे. उपलब्ध करावें ताकि वनीकरण योजना तैयार कर राशि वसूल किया जा सके।	आवश्यक नहीं है।
16	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों अधिनियम 2006 के व्यक्तिगत/सामुदायिक वनाधिकार दावे प्रस्तुत नहीं किये जाने संबंधी कलेक्टर अनूपपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।	कलेक्टर अनूपपुर का पत्र क्र० 5387 दिनांक 23.12.2017 (FRA) छायाप्रति संलग्न है।
17	भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि यदि भविष्य के अंतर की राशि जो देय होगा, उसे आवेदक संस्थान जमा करने हेतु बाध्य होगा।	सरल क्र 17 की शर्त मान्य है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(एन.के.डहेरिया)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, अनूपपुर

FORM-1
(For linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Anuppur.

No/ 5387 /van adhi./trib.wel./2017

Anuppur Dated. 23/12/17

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.100 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer M.P.R.R.D.A. Anuppur for Road Construction (with culvert) From Pipriya to Saristal, Block Kotma in Anuppur** district fall within jurisdiction of (RF 537, 538, PF 539) in villages Kothi, Kelhari in Kotma Tehsils.

It is further certified that:

- (A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.100 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 52**.
- (B) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (C) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(AJAY KUMAR SHARMA)
Collector

District - Anuppur.

No/5388 /van adhi./trib.wel./2017
Copy to:-

Anuppur Dated... 23/12/17

1. Principal Chief Conservator of Forest (Land Management), Satpura Bhawan, Bhopal, M.P.
2. Director, Tribal Area Development Projects, Satpura Bhawan, Bhopal, M.P.
3. DFO, Anuppur.
4. SDM, Anuppur and Kotma, Dist. Anuppur
5. CEO, Block, Kotma Dist. Anuppur
6. Executive Engineer M.P.R.R.D.A. District Anuppur M.P.

Collector

District - Anuppur.